महापौर परिषद की बैठक में विभिन्न कार्यो को दी स्वीकृति

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में आहूत की गई। बैठक में महापौर जी इंदौर दौरा से प्रभावित होकर अपने अनुभवों का खुलकर साझा किये और पार्षदों को प्रशिक्षित कराने हेतु चर्चा किये। स्वयं का कार्ययोजना बनाते हुए कार्य करने का सलाह दिये। विकास कार्य हेतु विभिन्न संसाधनों की वृद्वि हेतु शासन से मांग के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु महापौर परिषद से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पालना कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की नियुक्ति किये जाने सर्व सम्मति से पारित किया गया। महापौर पाल ने बताया कि इंदौर जैसे बड़े शहर में अपना स्वयं का कार्ययोजना एवं नियम बनाकर कार्य करते है, जिसके कारण उन्हे स्वच्छता में नम्बर 1 का अवार्ड मिल रहा है एवं उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। इंदौर में जनप्रतिनिधियों के जन्म दिन की बधाई संदेश एवं विशेष समारोह में बड़े एवं छोटे होर्डिंग लगाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए हैं। होर्डिंग पर खर्च होने वाले राशि का उपयोग पुण्य कार्यो में लगाया जाता है। इसी प्रकार भिलाई में भी हमे अपना कार्ययोजना एवं नियम बनाकर कार्य करना होगा। जिससे हमारे शहर की स्वच्छता के साथ–साथ निगम की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। इसके लिए सभी पार्षदों को एक साथ इंदौर के कार्यप्रणाली को देखने प्रशिक्षण सह भ्रमण पर जाने की जरूरत है। जिससे पार्षदों को शहर की स्वच्छता एवं निगम के आय स्त्रोत के महत्वपूर्ण पहलूओं के बारे में जानकारी मिल सके और नगर निगम के सर्वांगिंन विकास में सभी पार्षदों का पूर्णतः सहयोग मिल सके। बैठक में प्रमुख रूप से 18 एजेण्डा एवं अतिरिक्त 2 एजेण्डा पर विस्तृत चर्चा हुई। नगरीय निकायों में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 के टाईड बेसिक ग्राण्ट की प्रथम किश्त राशि के अंतर्गत निगम क्षेत्रांतर्गत कचरा परिवहन हेतु कम्पेक्टर 14m3 टन क्षमता का वाहन क्रय, डोर–टू–डोर कचरा कलेक्शन कार्य हेतु मिनी टिप्पर वाहन क्रय एवं बड़े एवं छोटे नालो की सफाई हेतु मिनी चौन एक्सीवेटर क्रय करने को सर्व सम्मति से मंजुरी दी गई। राधिका नगर में पूर्व निर्मित स्लाटर हाउस के संचालन के लिए नियम–शर्तो में संशोधन करते हुए निविदा आमंत्रण किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। अनुज्ञप्ति शुल्क की दर वृद्वि पर चर्चा अनुसार अनुज्ञप्ति और अनुज्ञा की फीस की दर प्रत्येक तीन वर्षो में एक बार वृद्वि होना था। जिसमें दिनांक 03.06.2015 को दर पुनरीक्षित किया गया था, जिसका वर्तमान दर में वृद्वि किये जाने हेतु महापौर परिषद से पारित हुआ, आगामी सामान्य सभा से पारित होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु महापौर परिषद से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पालना कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की नियुक्ति किये जाने सर्व सम्मति से पारित किया गया। निगम की वित्तीय आय बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया, जिसमें निगम द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसके आवेदन शुल्क में बहुत दिनों से वृद्वि नहीं की गई है। ऐसे सेवाओं में निगम की वित्तीय आय बढ़ाने के उददेश्य से आवेदन शुल्क में वृद्वि किये जाने सहमति प्रदान करते हुए आगामी सामान्य सभा में रखा जाएगा। सालिड वेस्ट मेनेजमेंट अंतर्गत वायु गुणवत्ता सुधार हेतु 15वें वित्त आयोग से बैकहो लोडर 4 नग, डम्पर 4 नग, मिनी टिप्पर 30 नग, ट्रक माउंटेन सक्सन कम जेटिंग मशीन 6 नग एवं

अन्य वाहन क्रय किये जाने के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने महापौर परिषद से सर्व सम्मति से पारित किया गया। राजस्व आय की वृद्धि हेतु निगम क्षेत्र के मुख्य मार्गो में स्थित विद्युत पोल एवं ट्यूबलर पोल में विज्ञापन बोर्ड लगाने के नियम शर्तो के अनुमोदन एवं निविदा आमंत्रण को सलाहकार समिति की बैठक में विचार कर आगामी महापौर परिषद की बैठक में प्रस्तुत करने कहा गया। निगम के जलकार्य विभाग में 15 कुशल, 28 अर्द्धकुशल एवं 39 अकुशल प्लेसमेंट श्रमिक रखा जाना है। जिससे शहर में जलप्रदाय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इस प्रस्ताव को सभी ने अपनी विचार रखते हुए सहमति प्रदान की। श्रीमती सरस्वती साहू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केन्द्र मुरूमखदान को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद से पृथक किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुआ। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वायु सुधार हेतु 15वें वित्त आयोग मद से जी.व्ही.पी. स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य कराने को मंजुदी दी गई। बैठक में महापौर परिषद सदस्य सीजू एन्थोनी द्वारा संपत्तिकर वसूली हेतु अधिकृत एजेंसी श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। संपत्तिकर वसूली हेतु नियमित या प्लेसमेंट कर्मचारी के माध्यम से वसूली का कार्य कराने के संबंध में चर्चा किया गया। बैठक में महापौर परिषद के सदस्य सीजू एन्थोनी, लक्ष्मीपति राजू, संदीप निरंकारी, लालचंद वर्मा, केशव चौबे, चंद्रशेखर गवई, आदित्य सिंह, रीता सिंह गेरा, नेहा साहू, उपायुक्त सह निगम सचिव नरेन्द्र कुमार बंजारे, जोन आयुक्त अजय राजपूत, येशा लहरे, अमरनाथ दुबे, कुलदीप गुप्ता, सतीश यादव, लेखाधिकारी चंद्रभूषण साहू, कार्यपालन अभियंता रवि सिन्हा, विनीता वर्मा, अरविंद शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, बी.एल. असाटी, देवव्रत राजपूत आदि उपस्थित रहे।